



(17)

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमि.

कार्यालय मंडल प्रबंधक, अन्तागढ़ परियोजना मंडल भानुप्रतापपुर,
फोन नम्बर - 07850 - 252248, फैक्स - 07850 - 252248
e-mail-dmantagarh@rediffmail.com

क्रमांक/वविनि/स्टोर/2021/ 2100
प्रति,

भानुप्रतापपुर, दिनांक/27/02/2021

वनमण्डलाधिकारी,
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल
भानुप्रतापपुर

विषय :- भारत नेट परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु अनापत्ति प्रेषित करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1330 दिनांक 27.02.2021

—00—

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि संदर्भित पत्र माध्यम से वन विकास निगम के अन्तागढ़ परियोजना मंडल, भानुप्रतापपुर के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	परिक्षेत्र का नाम	गांव का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा		
				लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	कुल क्षेत्रफल हे.
1	2	3	4	5	6	7
1	अन्तागढ़	अन्तागढ़	P-938	322.381	0.5	0.016
2	अन्तागढ़	अन्तागढ़	P-939	1289.798	0.5	0.064
3	अन्तागढ़	अन्तागढ़	R-736	1236.092	0.5	0.062
4	अन्तागढ़	नवागढ़	P-933	4031.854	0.5	0.202
5	अन्तागढ़	सिरसंगी	P-964	747.525	0.5	0.037
6	अन्तागढ़	ताड़ोकी	P-951	1266.808	0.5	0.063
7	अन्तागढ़	अन्तागढ़	P-939	512.933	0.5	0.026
8	अन्तागढ़	नवागढ़	P-935	2179.436	0.5	0.109
9	अन्तागढ़	भैसासुर	P-942	1294.863	0.5	0.065
10	भानुप्रतापपुर	कच्चे	P-836	229.867	0.5	0.011
11	भानुप्रतापपुर	टेकाडोरा	P-853	1458.837	0.5	0.073
12	दुर्गकोदल	हाहालददी	P-875	1281.644	0.5	0.064
13	दुर्गकोदल	कोडे	P-919	540.182	0.5	0.027
14	दुर्गकोदल	बड़गांव	P-925	2610.443	0.5	0.131
कुल योग :-						0.950

उक्त वन क्षेत्रों का निरीक्षण परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी एवं मेरे स्वये द्वारा किया गया है। प्रस्तावित वन क्षेत्र गांव से लगे हुए है तथा इसमें किसी भी प्रकार का वन क्षेत्र को क्षति नहीं पहुंच रही है। प्रभावित वन क्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने) हेतु अनापत्ति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है, कि भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य में किसी भी वृक्षों की कटाई नहीं होना चाहिए एवं जिस क्षेत्र में फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु गड़ढा खोदाई कार्य किया जावेगा, उसमें लाईन बिछाने के पश्चात् समतलीकरण करना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभावित वन भूमि 0.950 हेक्टेयर के गैर वानिकी उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सधन्यवाद

भवदीय,

मंडल प्रबंधक

अन्तागढ़ परियोजना मंडल

भानुप्रतापपुर

पू.क्रमांक/वविनि/स्टोर/2021/ 2101
प्रतिलिपि :-

भानुप्रतापपुर, दिनांक/27/02/2021

परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, भानुप्रतापपुर/अन्तागढ़/दुर्गकोदल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मंडल प्रबंधक

अन्तागढ़ परियोजना मंडल

भानुप्रतापपुर

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -FP/CG/OFC/45642/2020

I.	परियोजना / स्कीम का स्थान	"भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कांकेर
(iii)	वन प्रभाग	पूर्व भानुप्रतापपुर
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रा (हेक्टेयर)	6.676(हेक्टेयर)
(v)	वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वन, संरक्षित वन, वन विकास निगम, एवं राजस्व वनभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 - 0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ. एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यकता नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	मृदा क्षरण की संभावना नहीं है अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित योजना में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्रा का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं हैं।
(xi)	क्या क्षेत्रा में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्रा में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।

2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की माँग न्यूनतम एवं आवश्यक हैं।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं है।	अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यकता नहीं है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	आवश्यकता नहीं है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	आवश्यकता नहीं है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्रों की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्रा (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यकता नहीं है।
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
6.	विभाग/जिला प्रोफाईल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6633.74 वर्ग किलो मीटर
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	3358.370 वर्ग किलो मीटर
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्रा	13 प्रकरण 1361.640 हेक्टेयर
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक: (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	निरंक निरंक

	(v) वर्ष 2019-2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	निरंक निरंक
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	कांकेर जिला के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तागढ़ एवं दुर्गकोन्दल ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़नेसे समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़द्वारापूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गतअन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावितवनभूमि रकबा 6.676के व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 03/03/2021

स्थान :- भानुप्रतापपुर

मनीष कश्यप
(भा.व.से)

वनमण्डल अधिकारी,
वन मण्डल अधिकारी,
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल,
भानुप्रतापपुर, कांकेर,

101

FORM-1
(For Linear Project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District collector, Kanker

No: 54

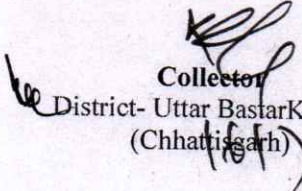
Date: 17-07-2020

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliances of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that **6.676 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) Raipur, C.G.** (name of the user agency) for laying Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (Purpose for diversion of forest land) in **East Bhanupratappur Forest Division** falls within jurisdiction of **Kanker District i.e Antagarh and Durgukondal Block.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire **6.676 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(Not Applicable)**
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it; **(Not Applicable)**
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitives Tribal groups and Pre-agricultural communities. As the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHIPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase- II (A Part of Digital India).


Collector
District- Uttar Bastar Kanker
(Chhattisgarh)

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा कांकेर जिला के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तागढ़ एवं दुर्गकोन्दल ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने बाबत समस्त पहलुओं की जाँच किया गया है किन्तु अन्य कोई विकल्प वनभूमि के न्यूनतम उपयोग एवं तकनीकी दृष्टीकोण से उपयुक्त नहीं पाया गया।

प्रस्तावित वनभूमि रकबा 6.676 हे. के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वनमण्डलाधिकारी,
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल,
जिला - कांकेर, (छत्तीसगढ़).

